न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 26/2025

जगमालराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन 75000 आरडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम रास्ता बाबत

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलि — प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक :—27/10/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि —यह कि प्रार्थी के नाम से नाम एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक न. 15 जेड.डब्ल्यू.डी के खाता स. 10/9 के प.न. 66/369 (8), प.न. 671369 (9) की कुल 4.0480 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076—79 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नजरी नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है । यह कि प्रार्थी की उक्त भूमि मे आने जाने हेतु दक्षिण मे दिशा मे 33 फुट का सरकारी रास्ता था जिसमे सरकार द्वारा सेमनाला निकाल दिया गया है जो सेम समस्या समाधान हेतु उपयुक्त है। सेम नाला निकालने के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का उक्त रास्ता बंद हो गया है।यह कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार व अन्य सहकाश्तकारो को अपनी अपनी भूमि मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है।यह कि उक्त भूमि के दक्षिण दिशा मे यानि प.न. 67/370 की भूमि मे स्वीकृत शुदा रास्ता दर्ज रिकॉर्ड वाके है। अब मिकर अपनी उक्त भूमि मे से प.न. 671369 (9) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक मे किला में 0.025 0.025 है. भूमि गैर मुमकिन रास्ता बिना किसी प्रतिफल के कटवाकर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाना चाहता है। ताकि उक्त रास्ता प्रार्थी भूमि के दक्षिण दिशा मे प.न. 67/370 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 के स्वीकृत शुदा रास्ता से जुड सके और हमे आने—जाने मे पूर्ण सुविधा हो सके।यह कि प्रार्थी अपनी उक्त भूमि मे रास्ता अपने व अपने परिवार की पूर्ण सहमति व [illegible] से चक न. 15 जेड. डब्लयू.डी के प.न. 671369 (9) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक मे किला मे 0.025 0.025 हैक. भूमि रास्ता हेतु राजस्व रिकॉर्ड [illegible] यह कि प्रार्थी तहसील पीलीबंगा के चक न. 15 जेड.डब्लयू.डी के प.न. 671369 (9) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला मे 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो स्वीकृत किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:36:08 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि चक न. 15 जेड.डब्लयू.डी के प.न. 67/369 (9) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला मे 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करे । श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रकरण में रिपोर्ट अप्रार्थी/तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 287 दिनांक 03.10.25 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू हैं। प्रार्थी के स्वयं की भूमि है।प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वयं की भूमि में ही हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ते के अलावा पूर्व में प.नं. 67/369 कि.नं. 21 ता 25 में रास्ता लगता था। मौके पर सेमनाला बनाने के कारण उक्त रास्ता मौके पर बन्द है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है।प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन स्टेट जवाब एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना इस लिए उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने स्वयम् के रकबा में से रास्ता की आवश्यकता है जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि– चक न. 15 जेड.डब्लयू.डी के प.न. 67/369 (9) के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:36:08 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 27/10/25 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा